न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 96/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, सी–25, भगवानदास रोड़, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) 302021

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **योगेश कुमार पुत्र विद्याधर सिंह**

   प्रथम पताः– C/O चम्पालाल चांद गेस्ट हाउस, हनुमान मंदिर के पास, फलौदी, राजस्थान 342301

   द्वितीय पताः– अदाणी एनर्जी लिमिटेड, अदाणी रिन्युएबल एनर्जी पार्क, अदाणी बिल्डिंग ऑफिस, भदला के पास, फलौदी, राजस्थान 342301

2. **अनिता कुमारी पत्नि योगेश कुमार**

   प्रथम पताः– फ्लैट नं. एल8–27, फ्लोर–8, श्री कृष्णा रेजीडेन्सी, समरथपुरा, नवलगढ़ रोड़, सीकर, राज. 332001

   द्वितीय पताः– 12, चैनपुरा, मालीसर, झुन्झुनू, राज. 333001

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः– 23 दिसंबर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विनोद कुमार चौहान** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **योगेश कुमार पुत्र विद्याधर सिंह** एवं **अनिता कुमारी पत्नि योगेश कुमार** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पति **फ्लैट नं. 27, 8वां फ्लोर, टाईप–एल.आई.जी., श्री कृष्णा रेजीडेन्सी, ग्राम समरथपुरा, नवलगढ़ रोड़, सीकर, राज.** में स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल रूपये 11,00,000/– (अक्षरे रूपये ग्यारह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **29.02.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **29.02.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **योगेश कुमार पुत्र विद्याधर सिंह** एवं **अनिता कुमारी पत्नि योगेश कुमार** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पति **फ्लैट नं. 27, 8वां फ्लोर, टाईप–एल.आई.जी., श्री कृष्णा रेजीडेन्सी, ग्राम समरथपुरा, नवलगढ़ रोड़, सीकर, राज.** में स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **23 दिसंबर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर